न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) — जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 89/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सांगानेर

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री बक्तावर EPIP गेट, सीतापुरा, जयपुर।
2. गोविन्द पुत्र श्री छीतर सीतापुरा, जयपुर।
3. राधेश्याम पुत्र श्री लालाराम सीतापुरा, जयपुर।
4. लालचन्द

4. निर्णय दिनांक : 28.06.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी सांगानेर, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थीगण पर दिनांक 18.07.2000 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 1 लोहे का ड्रम मय 210 लीटर पेट्रोल, 2 जरीकन 35 लीटर की व 2 जरीकन 20 लीटर की कुल 110 लीटर डीजल, 1 जरीकन 50 लीटर की व 2 जरीकन 35 लीटर की कुल 120 लीटर केरोसीन, एक नाप 5 लीटर की, एक कीप, एक पाईप तथा चार खाली जरीकन को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त अवैध पेट्रोल, डीजल व केरोसीन के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 1 व 2 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 26.08.2002 को अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 26.08.2003 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी 3 व 4 का पता पूर्ण नहीं होने तथा प्रार्थी सरकार के नोटिस पेश नहीं करने पर सम्यक रुप से तामील नहीं हुये। चूंकि उक्त अप्रर्थीगण के फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर है और प्रकरण की सूचना पूर्ण रुपेण है। फिर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 28.06.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी थानाधिकारी द्वारा दिनांक 18.07.2000 को मुखबिर की सूचना पर सीतापुरा रेलवे फाटक के पास अप्रार्थीगण पर जांच कार्यवाही कर अवैध रुप से बिक्री करते हुये पाये जाने पर कुल 210 लीटर पेट्रोल, 110 लीटर डीजल, 120 लीटर केरोसीन, एक नाप 5 लीटर की, एक कीप, एक पाईप तथा चार खाली जरीकन को जब्त किये गये तथा मौके पर अप्रार्थीगण ने उक्त माल संबंधिम कोई लाईसेंस व अन्य दस्तावेज पेश नहीं किये। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अंकित किया है कि अप्रार्थीगण न तो केरोसीन, डीजल व पेट्रोल का कारोबार करता है ना ही यह सब माल उसके कब्जे से बरामद हुआ है। अप्रार्थीगण का इस माल से कोई संबंध नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त माल अवैध था और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 1 लोहे का ड्रम मय 210 लीटर पेट्रोल, 2 जरीकन 35 लीटर की व 2 जरीकन 20 लीटर की कुल 110 लीटर डीजल, 1 जरीकन 50 लीटर की व 2 जरीकन 35 लीटर की कुल 120 लीटर केरोसीन, एक नाप 5 लीटर की, एक कीप, एक पाईप तथा चार खाली जरीकन शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर